महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः-परिवाद/परिपत्र/2016/ 19657-757 दिनांकः- 4/7/16

-:परिपत्र:-

प्रायः यह देखने में आया है कि राज्य की जेलों पर पदस्थापित प्रहरी, मुख्य प्रहरी, सहायक कारापाल व अन्य अधीनस्थ कर्मचारी/अधिकारीयों से कार्यालय की उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर नही करवाये जाकर पंजिका में केवल ड्यूटी के संबंध में उनके नाम के सामने के कॉलम में उपस्थित कार्मिक के लिए पी व अनुपस्थिति कार्मिक के लिए ए अंकित कर दिया जाता है जिससे राज्य सरकार के आदेशो का उल्लंघन हो रहा है तथा कुछ कर्मचारियों को लाभ पहुँचाये जाने की अनावश्यक शिकायत प्राप्त हो रही है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आपकी कारागृह पर पदस्थापित प्रहरी, मुख्य प्रहरी, सहायक कारापाल व अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के हस्ताक्षर कराने के लिए कार्यालय में समस्त स्टाफ की संवर्गवार उपस्थिति पंजिका का संधारण किया जावें व पंजिका में प्रत्येक कर्मचारी निर्धारित डयूटी समय पर उपस्थिति होने के समय अपने नाम के सामने अंकित कॉलम में तिथिवार हस्ताक्षर करें तथा उपस्थित पंजिका में किसी प्रकार का पी व ए का कोई अंकन नही कियां जावें।

उक्त के अतिरिक्त डयूटी राईटर के कार्य के लिए किसी भी कर्मचारी को छः माह से अधिक समय के लिए नही लगाया जावें तथा कारागृह प्रभारी द्वारा प्रतिदिन उपस्थित पंजिका को चैक कर प्रत्येक पृष्ठ के नीचे अपने लघु हस्ताक्षर करें।

यदि इस आदेशों की पालना में आप द्वारा उक्तानुसार उपस्थिति पंजिका संधारण नहीं किया जाता है और उल्लंघन विभागीय निरीक्षण/जॉच के दौरान पाया जाता है, तो इस बाबत उच्च स्तर से की जाने वाली कार्यवाही के जिम्मेवार स्वंय कारागृह प्रभारी अधिकारी होगें।

उक्त परिपत्र की एक प्रति स्वंय के कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कराकर पालना सुनिश्चित कराते हुए उपस्थिति पंजिका संधारण की अनुपालना से मुख्यालय कारागार के कन्ट्रोल रूम को सूचित करावें ।

(सुधाकर जौहरी)
अति.महानिदेशक कारागार
राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
2. अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभाराधिकारी, केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह, राजस्थान।
3. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
4. उपाधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर।
5. उपाधीक्षक, महिला सुधारगृह,जयपुर/जोधपुर।
6. प्रभाराधिकारी, किशोर सुधारगृह, जैतारण।
7. रक्षक पत्रावली।

अति.महानिदेशक कारागार